>

Title : Need to accord necessary approval for raising the height of Narmada dam in Gujarat.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): इस साल कम बारिश के कारण कई राज्य सूखे का सामना कर रहे हैं। राज्य के ज्यादातर जलाशय सूख गए हैं। पानी के अभाव में कृषि एवं किसान प्रभावित एवं पीड़ित हैं। ऐसी दयनीय स्थिति में नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर योजना ही बचाव का मुख्य आधार बन गया है। नर्मदा कंट्रोल ऑथोरिटी द्वारा बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति नहीं मिल रही है जबकि यदि बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाए तो जलाशय में पानी का संग्रह 96.8 लाख स्क्वायर फीट हो जाएगा। बांध की ऊंचाई न बढ़ाने से गुजरात की कृषि एवं किसान प्रभावित हुए हैं। जहां तक पुनर्वास का प्रश्न है तो गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। दोनों राज्यों द्वारा बांध की ऊंचाई बढ़ाने हेतु अनुमति की सिफारिश की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने भी पुनर्वास के काम पूर्ण करके एक्शन टेकन रिपोर्ट ग्रीवान्सेस रिड्रेसल ऑथोरिटी को सौंप दी है। सिर्फ परामर्श का काम बाकी है। सरकार से मेरा आग्रह है कि नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान करें।